



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रशेखर रैदास पुत्र श्री रामपाल रैदास, निवासी जनपद-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-4745/प्रो(6)/260(गणतंत्र दिवस-2026), दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रशेखर रैदास पुत्र श्री रामपाल रैदास, ऊचगांव सानी, थाना-बीघापुर, जिला-उन्नाव का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-02.08.1991 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर खेत की मेड़ को लेकर हुये विवाद के कारण लाठी, कुल्हाड़ी एवं तमंचे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-910/1995 में धारा-302/149, 148 आई.पी.सी के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, उन्नाव के आदेश दिनांक 12.03.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2026 तक अपरिहार 12 वर्ष, 11 माह, 16 दिन एवं 16 वर्ष, 06 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुये शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी /2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रशेखर रैदास पुत्र श्री रामपाल रैदास की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रशेखर रैदास (बन्दी सं0-27138) पुत्र श्री रामपाल रैदास, निवासी जनपद-उन्नाव की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1127/2026/181(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>